न्यायालय उपखण्ड ....अधिकारी.................. कठूमर जिला अलवर

मिसल नं. ....2/24/20 **तारीख रजू**..........................

ओमकार **बनाम** घीसाराम वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.03.2020	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद में वकील सायल ने शपथ पत्र, नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया। वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी. ख0 नं0194/1, 197, वाके ग्राम कालवाडी तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे । अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि. उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 28.04.2020 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 28.04. 2020 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
28.4.20	[illegible] कोरोना [illegible]/P.O. वजह Covid-19 पत्रावली दिनांक 10/8/20 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
10.8.2020	वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने अपने दावा को Not Press कर दिया है अतः प्रा० पत्र 212 RTA चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रा० पत्र 212 RTA अर्ज वकील प्रार्थी	(हस्ताक्षर) 10/8/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	को १०.०२.२०२४ के आदेश पर खारिज किया जाता है। पत्रावली मिसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे। (सुनाया)	